



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102024-257620
CG-DL-E-01102024-257620

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 281]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2024/आश्विन 8, 1946

No. 281]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2024/ASVINA 8, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर 2024

मामला सं. ओआई-39/2024

विषय: विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कतिपय क्रेनों" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा.नं. 6/42/2024-DGTR.—1. "एक्शन कंस्ट्रक्शन इन्फ्रामेंट लिमिटेड (एसीई) (जिसे आगे "आवेदक" भी कहा गया है) से समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कतिपय क्रेनों के कथित पाटन संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

2. प्राधिकारी एतद्वारा समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के नियम 5 के उप नियम 4 के अनुसार आवेदक द्वारा प्रदत्त सूचना का संज्ञान देते हैं।

क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद कतिपय क्रेन (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) हैं। विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित प्रकार की क्रेन हैं:

क. क्रॉलर क्रेन का क्रेन जिसकी लिफ्टिंग क्षमता 40 एमटी से 260 एमटी है, चाहे पूर्णतः असेंबल, अर्ध असेंबल और डिस असेंबल रूप में हो।

ख. ट्रक क्रेन का जिसकी लिफ्टिंग क्षमता 25 या उससे अधिक हो, चाहे पूर्णतः असेंबल, अर्ध असेंबल और डिस असेंबल रूप में हो।

4. संबद्ध वस्तु का प्रयोग अवसंरचना परियोजनाओं, सड़क और पुल, रिफाइनरी, सीमेंट संयंत्र और किसी अन्य औद्योगिक परियोजना के लिए परियोजना स्थल पर लोडिंग / अनलोडिंग सामग्रियों की शिफ्टिंग, निर्माण आदि में किया जाता है।

5. विचाराधीन उत्पाद को अध्याय शीर्ष 8426 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। संबद्ध वस्तु को एचएस कोड 84264100, 84264900, 84314990, 84314390, 84314920, 84314390 के अंतर्गत भी आयात किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण को सांकेतिक माना जाए और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर यह बाध्यकारी नहीं है।

6. आवेदक ने निम्नलिखित पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव किया है।

क्र. सं.	प्रकार	मूल्य	पीसीएन कोड
1	मशीन क्रॉलर क्रेन की श्रेणी / प्रकार	क्रॉलर क्रेन	सीसी
		ट्रक क्रेन	टीसी
2	लोड क्षमता एमटी में (वर्णन दिया गया है)	25 एमटी	025
		40 एमटी	040
		45 एमटी	045
		50 एमटी	050
		55 एमटी	055
		60 एमटी	060
		70 एमटी	070
		80 एमटी	080
		85 एमटी	085
		90 एमटी	090
		100 एमटी आदि	100

7. हितबद्ध पक्षकारों को इस जांच शुरूआत अधिसूचना के 15 दिनों के भीतर पीयूसी, पीसीएन के दायरे संबंधी टिप्पणी, यदि कोई हों, करने का निदेश दिया गया है।

ख. समान वस्तु

8. आवेदक ने दावा किया है कि भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। पाटित आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु के तकनीकी विनिर्देशनों, कार्यों, अनुप्रयोगों या अंतिम उद्योगों में कोई अंतर नहीं है। अतः घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु चीन जन. गण. से पाटित वस्तु के समान

वस्तु है। पाटित वस्तु और याचिकाकर्ताओं द्वारा विनिर्मित उत्पाद में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इस प्रकार वर्तमान जांच के शुरूआत के प्रयोजनार्थ भारतीय उत्पादकों उत्पादित वस्तु को प्रथमदृष्ट्या चीन जन. गण. से आयातित किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. संबद्ध देश

9. संबद्ध वस्तु का कथित रूप से चीन जन. गण. से पाटन किया जा रहा है।

घ. जांच की अवधि

10. प्राधिकारी ने अप्रैल 2023 – मार्च 2024 (12 महीने की अवधि) पर पीओआई के रूप में विचार किया है। 2020-21, 2021-22, 2022-23 और जांच की अवधि को क्षति अवधि माना गया है।

ड. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

11. वर्तमान आवेदन एक्शन कंस्ट्रक्शन इन्वियुमेंट लिमिटेड (एसीई) द्वारा दायर किया गया है। आवेदन में दी गई जानकारी के अनुसार, आवेदक जांच अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक ने यह भी प्रस्तुत किया है कि ट्रेक्टर इंडिया लिमिटेड संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माण में लगा हुआ था। हालाँकि, इसने चीन पीआर से आक्रामक डंपिंग के कारण संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन बंद कर दिया है। आवेदक ने घोषित किया है कि यह चीन पीआर में विचाराधीन उत्पाद के किसी भी निर्माता/निर्यातक से संबंधित नहीं है; न ही इसका भारत में किसी आयातक से संबंध है। इसके अलावा, आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश से आयात नहीं किया है। इस प्रकार, आवेदक को नियमों के अनुसार घरेलू उद्योग का गठन करने के लिए पात्र माना जाना चाहिए।
12. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, शुरूआत के उद्देश्य से, प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदक के पास भारत में विचाराधीन उत्पाद का बड़ा हिस्सा है, आवेदक स्थिति को पूरा करता है और नियम 2 (बी) और 5(3) के अर्थ के तहत घरेलू उद्योग का गठन करता है।

च. कथित पाटन का आधार

चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

13. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के नियम 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदक ने बताया है कि चीन के उत्पादकों को यह दर्शाने का निर्देश देना चाहिए कि संबद्ध वस्तु के उत्पादन और संबद्ध वस्तु उत्पादक उद्योग में नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति मौजूद है। आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
14. चूंकि इस स्तर पर (क) बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत; (ख) बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में परिकलित मूल्य; (ग) ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देश को कीमत के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है। इसलिए सामान्य मूल्य को संबद्ध वस्तु के घरेलू उद्योग के उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है। प्राधिकारी जांच के दौरान सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए हितबद्ध पक्षकारों और आवेदक द्वारा प्रदत्त साक्ष्य के आगे और जांच करेंगे।
15. निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त सौदावार आंकड़ों पर विचार किया है और सीआईएफ कीमत के आधार पर सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर आधारित कारखानाद्वारा निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, अंतर्देशीय भाडा, कमीशन आदि के लिए समायोजन किए हैं।

च. पाटन मार्जिन

16. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानाद्वारा स्तर पर की गई है जो प्रथमदृष्ट्या दर्शाती है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है, बल्कि काफी अधिक है। इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध का साक्ष्य

17. आवेदक ने प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं जो पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में मौजूद प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य को दर्शाते हैं। संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा में समग्र और सापेक्ष रूप से काफी वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से कीमत कटौती समग्र रूप से सकारात्मक और काफी अधिक है। आवेदक को कम क्षमता उपयोग, पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में बिक्री मात्रा में गिरावट, घाटा, बाजार हिस्से में गिरावट आदि के कारण भी क्षति हुई है।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

18. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और पाटन तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति को सिद्ध करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी वास्तविक क्षति तथा कथित पाटन की मौजूदगी मात्रा और प्रभाव के निर्धारण और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने के लिए जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतद्वारा पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं।

झ. सूचना प्रस्तुत करना

19. सभी संचार निर्दिष्ट प्राधिकारी को ई-मेल पतों adg16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in जिसकी प्रति dir16-dgtr@gov.in और jd15-dgtr@gov.in के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
20. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से ऊपर पैरा 19 में उल्लिखित ई-मेल पतों पर जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
23. हितबद्ध पक्षकारों को आगे यह निर्देश दिया जाता है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना के लिए वे डीजीटीआर की आधिकारिक वेबसाइट <https://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें।

ञ. समय सीमा

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ई-मेल पतों adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in और jd15-dgtr@gov.in पर प्राधिकारी को ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने वाले या निर्यातक देश से उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में यथा निर्धारित उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

ट. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 8 (2) के अनुसार और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का

- अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त का पालन नहीं करने पर उत्तर / अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
27. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उसके साथ संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) करने वाले किसी पक्षकार को गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
 28. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से गोपनीय या अगोपनीय अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी से किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
 29. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
 30. अगोपनीय अंश उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) या सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश का उचित और पर्याप्त अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह दर्शाना होगा कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं हो सकता है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार ऐसे कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकार दस्तावेज के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
 31. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को प्राधिकारी स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सामान्य अथवा सारांश रूप में सूचना को सार्वजनिक करने या उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वे ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
 32. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या गोपनीयता के दावे के उचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।
 33. प्राधिकारी प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ठ. हितबद्ध पक्षकारों के बीच उत्तर / अनुरोध साझा करना

34. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें।

ड. असहयोग

35. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

Ministry Of Commerce And Industry
(DEPARTMENT OF COMMERCE)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)
INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2024

Case No. (OI)-39/2024

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Certain Cranes” originating in or exported from China PR.

Fl.No.6/42/2024-DGTR.—1. Action Construction Equipment Ltd. (ACE) (hereinafter referred to as the “Applicant”), has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") under the provisions of the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act" and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules'), seeking initiation of an anti-dumping investigation by alleging dumping of “Certain Cranes” (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or the “subject goods”), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the "subject country").

2. The Authority hereby takes cognizance of the information provided by the applicant as per sub-rule 4 of rule 5 of the Customs Tariff (Identification Assessment and Collection of Anti-dumping duty on dumped articles and for determination of injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules").

A. Product Under Consideration (PUC)

3. The product under consideration in the present investigation is “Certain Cranes”, (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or the “subject goods”). The product under consideration is Cranes of the following types:

- a. Crawler Cranes having lifting capacity from 40 MT to 260 MT, whether in fully assembled, semi-assembled or disassembled form.
- b. Truck Cranes with lifting capacity of 25 MT and above, whether in fully assembled, semi-assembled or disassembled form.

4. The subject goods are used for loading / unloading, shifting of material, erection etc. at project sites like infrastructure projects, roads & bridges, refinery, cement plants and any other industrial projects.

5. The product under consideration is classified under chapter heading 8426. The subject goods are also imported in HS Codes 84264100, 84264900, 84314990, 84314390, 84314920, 84314390 during injury period. The customs classification may kindly be treated as indicative, and not binding on the scope of the product under consideration.

6. The applicant has proposed the following PCN methodology:

Sl. No	Type	Value	PCN Code
1	Category / Type of Machine Crawler Crane	Crawler Crane	CC
		Truck Crane	TC
2	Load Capacity in MT (Illustrations given)	25 MT	025
		40 MT	040
		45 MT	045
		50 MT	050

		55 MT	055
		60 MT	060
		70 MT	070
		80 MT	080
		85 MT	085
		90 MT	090
		100 MT etc.	100

7. The interested parties are directed to make comments on the scope of the PUC, PCNs, if any within 30 days of this initiation notification.

B. Like Article

8. The applicant has claimed that the subject goods which are being dumped into India are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, functions, applications or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods. Hence, the goods produced by the domestic industry are 'Like Article' to dumped goods from China PR. There is no difference in the dumped goods and the product under consideration manufactured by the petitioners. The two are technically and commercially substitutable. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the article produced by the Indian producers has been *prima facie* considered as like article to the product being imported from China PR.

C. Subject Country

9. The subject goods are allegedly being dumped from China PR.

D. Period of Investigation (POI)

10. The Authority considers POI for the present application as April 2023 – March 2024 (a period of 12 months) and the injury investigation period as FY 2020-21, FY 2021-22, FY 2022-23 and the POI.

E. Domestic Industry and Standing

11. The present application has been filed by Action Construction Equipment Ltd. (ACE). As per the information filed in the application, the applicant is the sole producer of the subject goods in India during the POI. The applicant has also submitted that Tractor India Ltd. was engaged in the manufacturing of the subject goods. However, it has stopped production of the subject goods on account of aggressive dumping from China PR. The applicant has declared that it is neither related to any producer/exporter of the product under consideration in China PR; nor it is related to any importer in India. Further, the applicant has not imported the product under consideration from the subject country. Thus, the applicant should be considered as eligible to constitute domestic industry in terms of Rules.

12. In view of the above, for the purpose of the initiation, Authority notes that the applicant accounts for major proportion of the product under consideration in India, the applicant satisfies the standing and constitutes domestic industry within the meaning of the Rules 2(b) and 5(3).

F. Basis of alleged dumping

Normal Value and Export price for China PR

13. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of Rule-7 of Annexure I of the Rules. The applicant has stated that the Chinese producers should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms Para 8(3) of Annexure-I of the Rules. The applicant has claimed that for China PR, normal value should be determined in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules.

14. Since the information is not available at this stage with regard to (a) the price in a market economy third country; (b) constructed value in a market economy third country; (c) the price from such a third country to other country, including India, normal value has been determined based on the cost of production of the domestic industry of the subject goods. The Authority will further examine the evidence provided by the interested parties and the applicant for the determination of the normal value during the investigation.
15. For determination of the export price, the Authority has considered transaction wise data procured from DGCI&S and made adjustments for port expenses, bank charges, inland freight, commission etc. to determine the ex-factory export price based on best available information on CIF import price.

a. Dumping Margin

16. The normal value and export price have been compared at ex-factory level, which *prima facie* shows that dumping margin is not only above the de-minimis level but also significant. There is sufficient *prima facie* evidence that the subject goods from the subject country are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.

G. Evidence of Injury and Causal link

17. The applicant has filed representation before the Authority that *prima facie* evidence exists with respect to the injury suffered by the domestic industry because of the dumped imports. The volume of the subject imports from the subject country has increased significantly in absolute as well as relative terms. The price undercutting from the subject country as a whole is positive and significant. The applicant has also suffered injury on account of low-capacity utilisation, decline in sales volume comparative to the previous year, losses, the decline in market share, etc.

H. Initiation of anti-dumping investigation

18. On the basis of the duly substantiated application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of *prima facie* evidence submitted by the applicant substantiating the dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority hereby initiates an anti-dumping investigation into the alleged dumping and consequent material injury to the domestic industry in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree, and effect of alleged dumping and to recommend the amount of dumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. Submission of Information

19. All communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg16-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in with copy to dir16-dgtr@gov.in and jd15-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.
20. The known exporters in the subject country, the government of the subject country through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
21. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below on the email addresses mentioned in Para 19 above.
22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
23. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the DGTR, i.e., <https://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

J. Time Limit

24. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in and jd15-

dgtr@gov.in within thirty (30) days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of the explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

25. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses/submissions within the above time limit.

K. Submission of information on confidential basis

26. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 8(2) of the Rules and the trade notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
27. The parties making any submission (including appendices/annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
28. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
29. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
30. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.
31. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
32. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
33. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

L. Sharing of responses/ submissions amongst interested parties.

34. A list of registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

M. Non-cooperation

35. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

DARPAN JAIN, Designated Authority